

## प्रपत्र-1

**परियोजना का नाम—**

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, ललुवापानी – बनलेख मोटर मार्ग से नधान मोटर मार्ग (लम्बाई 4.000 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के कम में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या : 5610/पी3-14(Hab)/यूआर0आर0डी0ए0/18, दिनांक 31. जनवरी, 2018 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनदेश की फोटोप्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट नधान अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सूविधा न होने से काश्तकारों को अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वही सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन भूमि 2.272 हेक्टेएर में रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन स्वरूप भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

**समरेखण नं 1:-** जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का समरेखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी – बनलेख मोटर मार्ग के किमी 0.2000 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में वन पंचायत भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस समरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष कम प्रभावित होते हैं, तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई 4.000 किमी आती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

**समरेखण नं 2:-** जो नीले रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार यह समरेखण स्थल जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ललुवापानी – बनलेख मोटर मार्ग के किमी 0.2000 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण की लम्बाई 5.000 किमी आती है। समरेखण का अधिकतम भाग सघन वन में होने के कारण यह समरेखण उचित नहीं पाया गया है। इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण करने से देवदार, बांज आदि के वृक्ष अधिक प्रभावित होते हैं। इस समरेखण से अधिक आबादी लाभान्वित नहीं होती है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 2 को निरस्त कर समरेखण नं 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 4.000 किमी 0 लम्बाई में एवं 7.00 किमी 0 चौड़ाई में आने वाली वनभूमि 2.272 हेक्टेएर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत नया प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत

अधिकारी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०, चम्पावत